

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर0 ए0 एस0

उनवान

1. बंशीलाल पुत्र श्री हतीपीण्ड वनाम 1. हतीप पुत्री कासम जाहिमुषा
2. रामस्वरूप पुत्र हतीपीण्ड 2. बानीराम पुत्र हतीप जाहिमुषा
दावा बाबत :- 88 RA 1084 3. हृषीका पुत्री हतीप नि० वी०
मुकदमा नम्बर :- 65/21 4. चमोली पुत्री हतीप भादरा


निर्णय दिनांक :- 10.11.21

वादी की ओर से वकील शिशुलाल यादव की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील मनवीर शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.11.21 को
मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि रंघी मौजा 3 डीपीएन के खाला स० 22/11/12 के

खु० न० 53 16.17, 19 स० 25 60 1, 2, 4 स० 20, 22, 23/1
की कुल 6.3264 है० प्रतिवारी स० 1 के नाम राजस्व रिपोर्ट में
दिए हैं में से मुकदमा राजीनामा प्रति० स० 1 का नाम उत्तमजन किया
जाकर वादी बंशीलाल प/5 हिस्सा व वादी रामस्वरूप 1/5 हिस्सा
के खातेदार अलग-अलग घोषित किए जाते हैं, प्रति० स० 1 का 3 ने
अपना एक हिस्सा वादीगण स० 1 के पत्र में व्याज कर चुका
कर लिया है हमलिए व्याज दिए गए हिस्से पर निपटानुसार
पंजीम शुल्क अदा करने व इति भूमि बैंक के रकम देते
रकम मुक होने पर उपरोक्त मुकदमा राजस्व रिपोर्ट में अंजन
किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़